न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 18.07.2022

प्रकरण संख्या: 100 / 22
जीसीएमएस नं. 2022 / 229

उनवान

1 श्रीमति गीता पुत्री स्व. बाबूलाल पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 316 कृष्णा नगर भरतपुर राज.।

––वादिनी

बनाम

1 वासुदेव 2 मोहनलाल पिसरान स्व. श्री बाबूलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान बरपाडा मौहल्ला भुसावर तहसील भुसावर व थाना भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री पवन तिवारी ––वादिनी
2 श्री देवेन्द्र शरण पाठक ––प्रति.

निर्णय दिनांक 18 / 05 / 2026

वादिनी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के पिता बाबूलाल शर्मा का स्वर्गवास तारीख 03.11.1973 को वमुकाम भुसावर में हुआ था और उन्होने अपने वारिसों में वादिनी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 व विधवा पत्नी रामपती छोडी थी तदुपरान्त रामपती का स्वर्गवास तारीख 18.11. 2007 में हो चुका है इस प्रकार स्व. श्री बाबूलाल जी के वारिसान में वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है उनका अन्य कोई वारिस नहीं है।

स्व. श्री बाबूलाल जी ने अपनी मृत्यु के वक्त निम्न अचल सम्पत्ति कृषि भूमि भुसावर । (प्रथम) तत्समय तहसील वैर हाल तहसील भुसावर में छोडी है जिसका विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	हाल खसरा नंबर	रकबा	गत खसरा नंबर	रकबा
1	1551	0.01	2272 मिन	7 बीघा 2 बिस्वा
2	1552	1.13	2272 मिन	उपरोक्त
3	1553	0.01	2272 मिन	उपरोक्त
4	1556	0.68	2269 मिन	8 बीघा 9 बिस्वा
5	1557	0.68 2.51	2269 मिन	उपरोक्त
6	1603	0.39	1201 मिन	7 बीघा 4 बिस्वा
7	1604	0.77	1201 मिन	उपरोक्त
8	1608	1.25	1205 मिन	10 बीघा
9	1610	1.05	1205 मिन	उपरोक्त
10	1643	0.27	1209 मिन 1230 मिन	4 बीघा 4 बिस्वा 1 बीघा 14 बिस्वा
11	1821	0.65	3625 / 1338 मिन 1340 मिन	15 बिस्वा 4 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राजस्थान

12	1822	0.65	1340 मिन 1341 मिन	13 बीघा 15 बिस्वा
13	1823	0.20	1341 मिन	13 बीघा 15 बिस्वा
14	1824	0.70	1341 मिन	13 बीघा 15 बिस्वा
15	1825	0.66	1341 मिन	13 बीघा 15 बिस्वा
16	1826	0.84	1341 मिन 1342 मिन 3626/1343 मिन 3627/1344 मिन 1345 मिन	13 बीघा 15 बिस्वा 1 बीघा 3 बिस्वा 1 बीघा 15 बिस्वा 2 बीघा 14 बिस्वा
17	1827	0.07	3627/1344 मिन 1345 मिन	
18	1828	0.06	3627/1344 मिन	
19	1831	0.35	1347 मिन	14 बीघा 15 बिस्वा
20	1832	0.22	1348 मिन 1355 मिन	2 बीघा 10 बिस्वा
21	1833	0.25	1348 मिन 1355 मिन	2 बीघा 10 बिस्वा
22	1834	0.25	1355 मिन	2 बीघा 10 बिस्वा
23	1835	0.48	1348 मिन 1349 मिन	
24	1836	0.40	1349 मिन	
25	1837	0.40	1349 मिन 1350 मिन 1353 मिन 1354 मिन	
26	1838	0.01	1350 मिन	
27	1839	0.26	1349 मिन 1350 मिन	
28	1842	0.03	1352 मिन	4 बिस्वा
29	1843	2.29	1350 मिन 1353 मिन 1354 मिन	
30	1844	0.39	1356 मिन	4 बीघा 16 बिस्वा
31	1845	0.38	1356 मिन	
32	1856	2.04	1347 मिन	
33	1894	1.39	1410 मिन	
34	1895	0.34	1411 मिन	

वादिनी के पिता श्री बाबूलाल शर्मा ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 27.05. 1964 को कीमतन 2,000/ रूपये में साबिक आराजी खसरा नम्बर 2269 रकवा 8 बीघा 9 विस्वा व खसरा नम्बर 2272 रकवा 7 बीघा 2 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1551 रकवा 0.01 ऐअर, 1552 रकवा 1.13 हैक्टेअर, 1553 रकवा 0.01 ऐअर, 1156 रकवा 0.68 ऐअर व 1557 रकवा 0.68 ऐअर वाके गांव भुसावर प्रथम को स्वयं अपने नाम से 1/2 भाग व अपने नाबालिग पुत्र वासुदेव के नाम से बेनामी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था प्रतिवादी वासुदेव नाबालिग था व शिक्षा प्राप्त कर रहा था वासुदेव

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

का कोई भी आय का साधन नहीं था कब्जा व काश्त पिताजी श्री बाबूलाल जी का रहा है इसलिये वासुदेव का इस आराजी में वास्तविक रूप से 1/2 हिस्सा नहीं था बल्कि सम्पूर्ण भूमि श्री बाबूलाल जी की थी और उनके देहावसान के बाद हाल में वादिनी व प्रतिवादी संख्या–2 व 3 का वहिस्सा बराबर हिस्सा है।

वादिनी के पिता व माता द्वारा अपनी मृत्यु के वक्त छोडी गई मद संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिनी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का वहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा है के उत्तराधिकारी है और इसी अनुसार नामान्तकरण होना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियो ने प्रतिवादीगण से मिल्लत कर अवैध रूप से विरासतन नामान्तकरण में वादिनी को 1/3 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को आराजी वर्णित मद संख्या–3 मे वहिस्सा बराबर 1/2 व मद संख्या–4 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी संख्या–1 को 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–2 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया है जो अवैध व शून्य होने से काबिल निरस्त है वादिनी दावा की मद संख्या–3 में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरो पर 1/3 हिस्सा की व मद संख्या–4 में वर्णित आराजी पर भी 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारिणी है व प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकारान है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात पर वादिनी को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री देवेन्द्रशरण पाठक एड. द्वारा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 29.04.2026 को राजीनामा प्रस्तुत किया तथा दिनांक 18.05.2026 को फॉर्म नं. 3 के साथ दान पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा राजीनामा व दानपत्र का भली भांति अवलोकन किया गया। अतः राजीनामा एवं दानपत्र के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा एवं दानपत्र के अनुसार खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। राजीनामा एवं दानपत्र निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)